

सक्षम प्राधिकारी अवर श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धा परीक्षा (केवल समूह 'ग' के लिए) 2014 उत्तीर्ण करने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में तैनाती होने के फलस्वरूप श्री बाल दत्त (अनुक्रमांक 2201900047; रैंक संख्या 1; अ.जा.) को चयन सूची वर्ष 2014 के लिए केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) के अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अस्थायी क्षमता में कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 08.09.2014 की पूर्वाह्न से 1900/- रु के ग्रेड वेतन सहित पे.बैंड 1, 5200-20200/- रु. में नियुक्त करते हैं।

2. श्री बालदत्त, अवर श्रेणी लिपिक दिनांक 08.09.2014 से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

3. श्री बालदत्त, अवर श्रेणी लिपिक को उनकी नियुक्ति की तारीख अर्थात् दिनांक 08.09.2014 से 1 वर्ष की अवधि के अंदर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित किसी एक अंग्रेजी अथवा हिंदी टंकण परीक्षा, यदि पहले उत्तीर्ण न किया हो, को अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अथवा राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं 16/4/99-सीएस-II दिनांक 29.05.90 में उल्लेख है, ऐसा न करने पर उन्हें उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने तक कोई वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी यदि वे अपनी परीवीक्षा अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें उनके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।


(रवि वर्जिरानी)

अवर सचिव, भारत सरकार

1. श्री बालदत्त, अवर श्रेणी लिपिक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. रोकड़ अनुभाग (2 प्रतियां)
4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (श्री के सुरेश कुमार, अवर सचिव, सीएस-II(बी)), लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-03।
5. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली को उनके दिनांक 24.07.2014 के पत्र संख्या 2/1/2014-ईएचक्यू-ईए(एनआर) के संदर्भ में।
6. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (श्री बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव, प्रशा. II) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 04.09.2014 के कार्यालय आदेश संख्या ए 22019/01/2012-प्रशा. II के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका और अंतिम वेतन प्रमाण पत्र इस मंत्रालय को शीघ्र भेजा जाएं।
7. सामान्य अनुभाग/पुस्तकालय/ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ
8. हिंदी अनुभाग
9. सेवा पुस्तिका।

STA (RC)


17/9